कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

क्रमाकः प.39 / 1( )राज. / गै.व.प्र. / 2023 / 1925-28 दिनांक 12.07.2023

—: आदेश :—

अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड प्रथम उदयपुर के पत्रांक 179 दिनांक 09.06.2023 द्वारा जयसंमन्द उदयपुर पेयजल परियोजना के अन्तर्गत जयसंमन्द झील के किनारे नये इनटेकवेल निर्माण, 33 के.वी. जीएसएस एवं 33 के.वी. एच.टी. लाईन के एक्सटेंशन का कार्य तथा जयसमन्द से उदयपुर शहर तक 900 एम.एम. व्यास की पाईप लाईन डालने के कार्य में आ रही 2.1137 हैक्टयर वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु राजस्व ग्राम मामादेव तहसील कुराबड के आ.नं. 1217 रकबा 40.8740 हैक्टयर किस्म मगरी बिलानाम गैर काबिल काश्त में से रकबा 1.9637 हैक्टयर भूमि एवं ग्राम विकास नगर तहसील खैरवाडा के आराजी नम्बर 3186 / 88 रकबा 0.1500 हेक्टयर भूमि कुल किता 2 रकबा 2.1137 हैक्टयर भूमि को राजस्थान भू.–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत वन विभाग के पक्ष में आरक्षित / हस्तांन्तरण (Setapart) की गई थी। परन्तु फॉरेस्ट क्लीयरेन्स प्रस्ताव मे कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर द्वारा आक्षेप लगाये गये की पूर्ति के दौरान प्रयोग मे ली जाने वाली वनभूमि की मात्रा मे बढोतरी (पूर्व मे वनभूमि 2.1137 हेक्टयर एवं वर्तमान मे 2.4938 हेक्टयर) जिससे अतिरिक्त 0.3801 हेक्टयर भूमि उपवन सरंक्षक उदयपुर को वन विभाग से लगती हुई राजस्व ग्राम मामादेव के आराजी नम्बर 1217 से आवंटन किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

इसी क्रम में उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के पत्र क्रमांकः राजस्व बी / 2023 / 1636 दिनांक 07.07.2023 द्वारा जयसमन्द झील के किनारे नये इनटेकवेल, 33 के.वी. जीएसएस एवं 33 के.वी. एच.टी. लाईन के एक्सटेंशन का कार्य तथा जयसमन्द से उदयपुर शहर तक 900 एम.एम. व्यास की पाईप लाईन डालने के कार्य में आ रही वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु राजस्व ग्राम मामादेव तहसील कुराबड के आ.नं. 1217 रकबा 40.8740 हैक्टयर किस्म मगरी बिलानाम गैर काबिल काश्त में से रकबा 0.3801 हैक्टयर भूमि वन विभाग को दिये जाने हेतु मय अभिशंषा प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ हैं।

अतः उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा की अभिशंषा अनुसार राजस्व ग्राम मामादेव के आ.नं. 1217 रकबा 40.8740 है. किस्म मगरी बिलानाम गैर काबिल काश्त में से रकबा 0.3801 है. भूमि को राजस्थान भू.–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत वन विभाग के पक्ष में आरक्षित / हस्तान्तरण (Setapart) की जाती है।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर,
उदयपुर

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उप वन संरक्षक, उदयपुर ।
2. उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा ।
3. तहसीलदार, कुराबड को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश द्वारा आरक्षित की गई भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने के साथ–साथ नक्शे में आवश्यक तरमीम करें।
4. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड प्रथम, उदयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर,
उदयपुर

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

क्रमाकः प.39 / 1( )राज. / गै.व.प्र. / 2024 / 884-90 दिनांक 12.04.2024

—: आदेश :—

अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड प्रथम उदयपुर के पत्रांक 814–819 दिनांक 21.03.2024 के अनुसार जयसमन्द उदयपुर पेयजल परियोजना के अन्तर्गत जयसमन्द झील के किनारे नए इन्टेक वेल निर्माण, 33 के.वी. जी.एस.एस. निर्माण, 33 के.वी. एच.टी.लाईन के एक्सटेशन का कार्य तथा जयसमन्द से उदयपुर शहर तक 900 एम.एम.व्यास की पाईप लाईन बिछाने जोडने के कार्य मे आ रही 2.1137 हेक्टयर वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु राजस्व ग्राम मामादेव तहसील कुराबड के आराजी नम्बर 1217 रकबा 40.8740 हेक्टयर किस्म मगरी बिलानाम गैर काबिल काश्त मे से 1.9637 हेक्टयर भूमि एवं ग्राम विकास नगर तहसील खैरवाडा के आराजी नम्बर 3186 / 88 रकबा 0.1500 हेक्टयर कुल किता 2 रकबा 2.1137 हेक्टयर भूमि को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत वन विभाग के पक्ष मे आदेश क्रमांक 450–56 दिनांक 03.02.2023 द्वारा आरक्षित की गई थी। परन्तु फारेस्ट क्लीयरेन्स प्रस्ताव मे कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, अरण्य भवन झालाना डूगरी जयपुर द्वारा कुछ आक्षेप लगाये गये जिनकी पूर्ति हेतु उक्त प्रकरण मे नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक 19.03.2014 को ली गई बैठक मे दिये गये निर्देशों की पालना मे वन भूमि की मात्रा मे बदलाव हेतु, पूर्व मे आवंटित वन भूमि 0.1500 हेक्टयर जो कि ग्राम विकास नगर खैरवाडा के आराजी नम्बर 3186 / 88 रकबा 0.1500 हेक्टयर आवंटित की गई थी। जो वन विभाग द्वारा अस्वीकार करने के कारण उक्त 0.15 हेक्टयर भूमि का आवंटन, वन क्षैत्र से लगती हुई राजस्व ग्राम मामादेव के आराजी नम्बर 1217 रकबा 40.8740 हेक्टयर किस्म मंगरी बिलानाम गैर काबिल काश्त मे से वृक्षारोपण योग्य व निर्विवादित भूमि आवंटन करने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रकरण मे उपखण्ड अधिकारी गिर्वा से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई । उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के पत्र क्रमांकः राजस्व बी / 2023 / 2024 दिनांक 05.04.2024 से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार जयसमन्द झील के किनारे नये इनटेकवेल, 33 के.वी. जीएसएस एवं 33 के.वी. एच.टी. लाईन के एक्सटेंशन का कार्य तथा जयसमन्द से उदयपुर शहर तक 900 एम.एम. व्यास की पाईप लाईन डालने के कार्य में आ रही वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु राजस्व ग्राम मामादेव तहसील कुराबड के बिलानाम आराजी नम्बर 1684 / 1217 रकबा 31.7802 हैक्टयर में से रकबा 0.1500 हैक्टयर भूमि वन विभाग को दिये जाने हेतु प्रस्तावित की गई है।

अतः उपखण्ड अधिकारी गिर्वा की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम मामादेव तहसील कुराबड के बिलानाम आराजी नम्बर 1684 / 1217 रकबा 31.7802 हैक्टयर में से रकबा 0.1500 हैक्टयर भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत वन विभाग के पक्ष में आरक्षित / हस्तान्तरण (Setapart) की जाती है। साथ ही इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 450–56 दिनांक 03.02.2023 द्वारा राजस्व ग्राम विकास नगर तहसील खैरवाडा के आराजी नम्बर 3186 / 88 रकबा 0.1500 हेक्टयर भूमि वन विभाग के नाम आरक्षित की गई भूमि का, आरक्षण / हस्तान्तरण आदेश निरस्त किया जाता है।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
उदयपुर

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उप वन संरक्षक, उदयपुर ।
2. उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा / खैरवाडा ।
3. तहसीलदार, कुराबड को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश द्वारा आरक्षित की गई भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने के साथ–साथ नक्शे में आवश्यक तरमीम करें।
4. तहसीलदार खैरवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार पालना करावे।
5. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड प्रथम, उदयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
उदयपुर

RajKaj Ref
6607154

Document certified by Arvind Kumar Poswal <dm-udai-rj@nic.in>.
Digitally Signed by Arvind Kumar Poswal
Designation :Collector & District Magistrate
Date :12-04-2024 10:10:11